सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 06, सोमवार, शाके 1943-दिसम्बर 27, 2021 *Pausa 06, Monday , Saka 1943- December 27, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 23, 2021

जी.एस.आर.388 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(8)वित्त/कर/2021-51 दिनांक 28.09.2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

टीना डाबी,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 28, 2021

राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) और उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.4(2)वित्त/कर/2021-280 दिनांक 24.02.2021 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) विद्यमान खण्ड 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"3. रीको औद्योगिक क्षेत्र से बाहर संस्थानिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

संस्थानिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या संस्थानिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के डेढ़ गुना के समतुल्य होंगी।

स्पष्टीकरण: (i i) ऐसे क्षेत्रों में जहां कृषि भूमि की दरों की जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गयी है, वहां ऐसी दरें खण्ड 16 के उपबंधों के अनुसार संगणित की जायेंगी।

(ii ii) संस्था में शैक्षणिक संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं, छात्रावास, अस्पताल, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां इत्यादि सम्मिलित होंगी।";

(ii) खण्ड 6 का विद्यमान स्पष्टीकरण हटाया जायेगा;

(iii) विद्यमान खण्ड 16 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"16.किसी विशिष्ट क्षेत्र की कृषि, आवासीय और व्यावसायिक भूमि की दरें जहां ऐसी भूमि की दरें जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गयी हैं

(i) कृषि भूमि की दरें, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के एक तिहाई या व्यावसायिक भूमि की दरों के 1/6, इनमें से जो भी कम हो, के समतुल्य होंगी;

(ii) आवासीय भूमि की दरें, उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के तीन गुना या व्यावसायिक भूमि की दरों की आधी, इनमें से जो भी कम हो, के समतुल्य होंगी; और

(iii) व्यावसायिक भूमि की दरें, उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के छह गुना या आवासीय भूमि की दरों के दोगुना, इनमें से जो भी कम हो, के समतुल्य होंगी।

(iv) विद्यमान खण्ड 18 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"18. नगरीय क्षेत्रों की उपांत पट्टी की सीमाओं से बाहर अवस्थित 500 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क में यथा परिभाषित नगरीय क्षेत्रों की उपांत पट्टी के बाहर अवस्थित 500 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें, सिवाय वहां, जहां ऐसी भूमि एकल खसरा में समाविष्ट है या एकल धृति में है या जहां ऐसी भूमि, संलग्न कृषि भूमि के खातेदार द्वारा क्रय की गयी है, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

स्पष्टीकरण: (i i) उपर्युक्त दरें विक्रय की लिखत पर लागू होंगी।

(ii ii) जहां कृषि भूमि के विक्रय की लिखत में, क्रेताओं की संख्या एक से अधिक है और किसी क्रेता का शेयर 500 वर्गमीटर या उससे कम है, भूमि के ऐसे शेयर का मूल्य उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दर से संगणित किया जायेगा।"; और

(v) विद्यमान खण्ड 19 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड 20 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"20. पोल्ट्री फार्म, डेरी या फिशरीज़ के प्रयोजन के लिए भूमि की दरें

पोल्ट्री फार्म, डेरी या फिशरीज़ के प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित कृषि भूमि या पोल्ट्री फार्म, डेरी या फिशरीज़ के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें, उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

टिप्पण:- (i i) उपर्युक्त खण्ड 1 से 20 में विनिर्दिष्ट दरें निष्पादित लिखतों पर या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर भी लागू होंगी किंतु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा। तथापि, लंबित मामलों में उस स्टाम्प शुल्क, जो ऐसी लिखत के निष्पादन की तारीख पर संदेय है, से अधिक स्टाम्प शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा।

(ii ii) विशिष्ट प्रवर्ग की भूमि की दरों के निर्देश के साथ प्रयुक्त "उस क्षेत्र" से उसी डीएलसी वृत्त के भीतर आने वाला क्षेत्र अभिप्रेत है।"

[सं.प.5(8)वित्त/कर/2021-51]
राज्यपाल के आदेश से,

टीना डाबी,
संयुक्त शासन सचिव''।

Government Central Press, Jaipur.